

प्रेषिका,

प्रियल शर्मा

अपर सिविल जज (जू.डि.)-7

वाराणसी

[तत्कालीन सिविल जज (जू.डि.)/एफ०टी०सी०

औरैया]

सेवा में,

आदरणीय महा -निबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद

द्वारा,

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,

वाराणसी

विषय: तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश,औरैया द्वारा प्रार्थिनी के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022- 23 में किए गए प्रतिकूल प्रविष्टि के विलोपित(expunction) करने हेतु प्रत्यावेदन:-

आदरणीय महोदय,

अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रार्थिनी उपरोक्त विषय में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निम्न निवेदन करना चाहती है-

1. यह कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा प्रार्थिनी के ऑनलाइन पोर्टल, e-services for J.O. पर दिनांक 05/08/2023 को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022 -23 में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गई है। प्रार्थिनी अपना प्रत्यावेदन उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के दिए जाने के 30 दिन के अंदर समर्पित कर रही है।
2. यह की प्रार्थिनी ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 18 /11/ 2019 को कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थिनी की उत्तर-प्रदेश न्यायिक सेवा में आने के बाद औरैया जनपद में प्रथम तैनाती थी।
3. यह कि उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (संलग्नक-01) में निम्न कॉलम में प्रविष्टियाँ प्रतिकूल /आलोचनात्मक प्रतीत होती हैं-

01(h). Control over the office and administrative capacity and tact -Annexure-I-A; The officer does not have control over the office.In this regard,vide D.O. No. 22 of 2023 dated 17.01.2023 , explanation was called. The officer submitted her explanation dated 25.01.2023 which

clearly shows that the officer does not have proper control over the officials and also does not have the administrative capacity.

01(m). **Weather amenable to the advice of District Judge and other superior officers- Annexure-I-B**,The officer left the station on dated 27.8.2022,with station leave, for Allahabad and visited, without seeking prior permission, to the then Hon'ble Administrative Judge at Allahabad in violation of circular No. 112/ LC-27 dated 14.12.1956 and 68/61 dated 14.4.1961 coupled with CL No.39 of 2006 dated 19.9.2006 which contain that no judicial officer shall meet any of the Hon,ble Judges of the court without obtaining prior permission as per guidelines. In this regard, vide D.O. 28 of 2022 dated 20.10.2022, the explanation was called for. (Copy enclosed).Vide D.O. No.32 of 2022 PA dated 11.12.2022, (copy enclosed) the expalaination, in this regard, was called for again but the officer again submitted deprecatory explanation dated 15.11.2022.

2. Overall assessment of the merit of the officer (outstanding,very good, good,average, poor)- Average

4. Other remarks, if any- the conduct of the officer is not up to the mark and she violated government conduct rules 1956 and circular number 112/1.C -27 dated 14.12.1956 and 68/61 dated 14.4.1961 coupled with CL number 39 of 19.09.2006 of the Hon'ble Court.

4. उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रस्तरवार विनम्र निवेदन निम्नवत है:-

Column

**Remark recorded by L.d. DJ,
Auriaya**

01(h). Control over the office and administrative capacity and tact :

Annexure-I-A; officer does not have control over the office.In this regard,vide

D.O.No. 22 of 2022 dated 17.01.2023, explanation was called. The officer submitted her explanation dated 25.01.2023 which clearly shows that the officer does not have proper control over the officials and also does not have the administrative capacity.

उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में विनम्र निवेदन निम्नवत है:-

(i) यह कि Annexure-I-A में उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा जिस D.O.No. 22 सन् 2023 दिनांकित 17/01/2023 (**संलग्नक-02**) का उल्लेख किया गया है, उसका स्पष्टीकरण प्रार्थिनी द्वारा निर्धारित समय में जनपद न्यायाधीश, औरैया के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था और यदि आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया प्रार्थिनी के उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे तो वे इस पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित कर सकते थे, परंतु इसके उपरांत उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा इस संबंध में प्रार्थिनी के विरुद्ध कोई आदेश या निर्देश पारित नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त संबंध में मेरे द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, दिनांकित 25/01/2023 (**संलग्नक-03**) पूरी तरह से संतोषजनक पाया गया इसलिए उक्त संबंध में उक्त प्रशासनिक अर्धशासकीय-पत्र के आधार पर आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा दी गई प्रतिकूल प्रविष्टिपूर्णतः अनुचित, आधारहीन व अतार्किक है।

(ii) यह कि प्रार्थिनी द्वारा जनपद न्यायालय ,औरैया में कनिष्ठतम् अधिकारी होते हुए भी वर्ष 2022-23 के दौरान आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा प्रार्थिनी को प्रशासनिक कार्यभार के रूप में **प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड रूम व प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय** का कार्यभार सौंपा गया जो कि प्रार्थिनी द्वारा सफलतापूर्वक बिना किसी त्रुटि के संपादित किया गया जो कि प्रार्थिनी की प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है। यदि आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया को प्रार्थिनी की प्रशासनिक क्षमता पर संदेह होता तो उनके द्वारा प्रार्थिनी को कनिष्ठतम् अधिकारी होते हुए भी इतने महत्वपूर्ण प्रभारों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त न किया जाता, इस प्रकार आदरणीय जनपद न्यायाधीश,औरैया द्वारा इस कॉलम में की गई प्रविष्टि विरोधाभाषी है तथा विलोपित किये जाने योग्य है।

(iii) यह की आदरणीय जनपद न्यायाधीश ,औरैया द्वारा कभी भी इस प्रकार का कोई निर्देश अथवा टिप्पणी किसी भी मासिक बैठक में नहीं दिया गया ना ही उनके द्वारा अपने वार्षिक निरीक्षण टिप्पणी वर्ष 2022-23 में इस प्रकार की कोई टिप्पणी की गई।

(iv) यह कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा ही मेरी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-22 (संलग्नक-04) में उक्त कॉलम में निम्न प्रविष्टि अंकित की है-

“01(h). Control over the office and administrative capacity and tact – Good”

जबकि उस समय प्रार्थिनी का न्यायिक व प्रशासनिक कार्य का अनुभव और भी कम था।

(v) यह कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने अन्य कई अधिकारियों को भी उक्त विषय पर इसी प्रकार का अर्धशासकीय-पत्र निर्गत किया था, किन्तु उनके वार्षिक प्रविष्टि में उक्त कॉलम में इस प्रकार की कोई भी प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं की गयी है, जो उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा मेरे प्रति भेदभाव व विद्वेषपूर्ण भावना को प्रदर्शित करता है।

(vi) यह कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि पूर्णतः तथ्यों एवं अभिलेखों के विरुद्ध, भेदभावपूर्ण, अनुचित, आधारहीन एवं विद्वेषपूर्ण है।

(vii) यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विलोपित किए जाने योग्य है।

Column

**Remark recorded by L.d. DJ,
Auriaya**

01(m). Weather amenable to the advice of the District Judge and other superior officers

Annexure-I-B,The officer left station on dated27.8.2022,with station leave, forAllahabd and visited, without seeking prior permission, to the then Hon'ble Administrative Judge at Allahabd in violation of circular No 112/ LC-27 dated 14.12.1956 and 68/61 dated 14.4.1961 coupled with CL No.39 of 2006 date19.9.2006 which contain that no judicial officer shall meet any

of the Hon, ble Judges of the court without obtaining prior permission as per guidelines. In this regard, vide D.O 28 of 2022 dated 20.10.2022, the explanation was called for. (Copy enclosed).Vide D.O No.32 of 2022 PA dated 11.12.2022, (copy enclosed) the expalaination, in this regard, was called for again but the officer again submitted deprecatory explanation dated 15.11.2022.

उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थिनी का विनम्र निवेदन निम्नवत है-

- (i) यह की प्रार्थिनी आदरणीय जनपद न्यायाधीश व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की प्रत्येक उचित व न्याय संगत विधिक सलाह का अनुपालन करती है।
- (ii) यह कि उक्त तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा अर्धशासकीय-पत्र संख्या 28/2022 दिनांकित 20/10/2022 (संलग्नक-05) में मेरे द्वारा दिनांक 27/08/2022 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, इलाहाबाद प्रस्थान करने हेतु प्राप्त करने के तथ्य को अंकित करते हुए, मेरे द्वारा प्रोटोकॉल को ब्रेक किये जाने व समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत परिपत्रों में दी गई व्यवस्था का अतिक्रमण किये जाने तथा उक्त कृत्यों को कदाचरण की श्रेणी में होने का कथन अंकित करते हुए मुझसे स्पष्टीकरण आहूत किया गया था। जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा स्पष्टीकरण दिनांकित 15/11/2022 (संलग्नक-06) उक्त तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया गया था। जिसमें लिखे तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए पूर्व नियोजित योजना के अनुसार मेरी गोपनीय प्रविष्टि 2022-23 में उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के उद्देश्य से मेरे उक्त स्पष्टीकरण को "Deprecatory" बताते हुए उक्त Annexure-I-B को अंकित किया गया है। जो पूर्णतः विद्वेषपूर्ण व अनुचित है।
- (iii) यह कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा ने ही वर्ष 2021-22 की गोपनीय प्रविष्टि के उक्त कॉलम में इसी प्रकार मनमानीपूर्ण, विद्वेषपूर्ण व अनुचित तरीके से प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए निम्नवत् अंकित किया था-

01(m). Weather amenable to the advice of District Judge and other superior officers- No (अर्धशासकीय-पत्र No. 7/2021 dated 02.12.2021, अर्धशासकीय-पत्र and Reply Annexed)

जिसको तत्कालीन माननीय न्यायमूर्ति महोदय, श्री गौतम चौधरी, प्रशासनिक न्यायाधीश, सत्र-खण्ड, औरैया ने विलोपित करते हुए निम्न अनुकूल व सकारात्मक टिप्पणी की (संलग्नक-04)-

Total out turn of the officer is 1385.08 units over the 616.16 required units which is 224.79% of work done. The District Judge, has made a remark that the concerned officer has fair and impartial dealing with the Bar and Public and she has proper fixation of cause list. In respect of old cases, the concerned officer has disposed of 118 cases older than 5 years and 21 cases older than 10 years, thus total of 139 old cases were disposed of. She is punctual in sitting in the court. The District Judge has rated her as "Good Officer". However, with regard to remark at serial no.01 (m), the District Judge has made a remark "NO" which was duly replied by the concerned Officer. Perused the अर्धशासकीय-पत्र No. 7/2021 dated 02.12.2021 as well as its reply and also considering the other favourable remarks made by the District Judge. During my visit I found the officer very cool and calm and had abided the direction of her superior officers, thus I am of the view that the remark awarded at serial no.01 (m) be read as "Always" instead of "NO". On overall assessment, officer is rated as 'Good'.

(iv) यह की उक्त संबंध में कभी कोई निर्देश मासिक बैठक में आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा नहीं दिया गया न ही किसी मासिक बैठक के मिनट में ऐसी कोई टिप्पणी की है।

(v) यह कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने वार्षिक निरीक्षण टिप्पणी वर्ष 2022-23 में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(vi) यह कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई।

(vii) यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है।

Column**Remark recorded by L.d. DJ,
Auriaya**

2. Overall assessment of the merit of the officer (outstanding,very good, good,average, poor):

Average

उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थिनी का विनम्र निवेदन निम्नवत है:-

(i) यह कि उपरोक्त समस्त प्रतिकूल प्रविष्टिओ के विरुद्ध दिए गए उपरोक्त समस्त तर्कों से यह स्पष्ट है की प्रार्थिनी की योग्यता के संपूर्ण निर्धारण (Overall assessment of the merit) के बारे में आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा अंकित की गई उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि भी न्याय संगत व उचित नहीं है।

(ii) यह कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वयं उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि:-

(I) प्रार्थिनी की सत्य निष्ठता संदेश से परे है।

(II) प्रार्थिनी जनता व बार के प्रति निष्पक्ष व ईमानदार है।

(III) प्रार्थिनी ठंडे दिमाग(**cool minded**) की है तथा न्यायालय में आपा नहीं खोती है।

(IV) प्रार्थिनी का निजी चरित्र ऐसा नहीं है जो उसे सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने वाला हो या कर्तव्य निर्वाहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

(V) प्रार्थिनी द्वारा वादों की सूची (कॉजलिस्ट) उचित रूप से निर्धारित किया जाता है।

(VI) प्रार्थिनी द्वारा सम्पूर्ण न्यायालय अवधि में व्यस्त रहने हेतु पर्याप्त वादों को नियत किया जाता है।

(VII) प्रार्थिनी द्वारा अनावश्यक स्थगन का परिवर्जन (avoidance) किया जाता है।

(VIII) प्रार्थिनी द्वारा 5 वर्ष से पुराने 1687 तथा 10 वर्ष से पुराने 188 वादों का निस्तारण किया गया है इस प्रकार प्रार्थिनी द्वारा कुल 1875 प्राचीनतम वादों का निस्तारण किया गया है।

(IX) प्रार्थिनी द्वारा पर्याप्त संख्या में वादों में अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा दी गयी है तथा पर्याप्त कारणों से बरकरार रखी गयी है।

(X) प्रार्थिनी द्वारा वादों को ठोस आधार पर रिमाण्ड दिया गया है।

(XI) प्रार्थिनी द्वारा तथ्यों एवं विधियों पर पूरी तरह से साधार(**whole sound**), संयुक्ति - युक्त(**well reasoned**) तथा अच्छी भाषा(**expressed in good language**) में व्यक्त निर्णय पारित किये गये हैं।

(XII) प्रार्थिनी द्वारा तथ्यों की मार्शलिंग(**marshalling of facts**), साक्ष्यों की सराहना(**appreciation of evidences**), कानून का अनुप्रयोग(**application of law**) उचित ढंग से किया गया है।

(XIII) प्रार्थिनी का कार्य- निस्तारण पर्याप्त है तथा निर्धारित मानक (770.32 units) से काफी अधिक (**1878.12 units**) है, जो कि किये गये कार्य का 243.81% है।

(XIV) प्रार्थिनी द्वारा पूर्ण विचारण के पश्चात गुण-दोष के आधार पर 839 पत्रावलियां निर्णीत की गयी हैं।

(XV) प्रार्थिनी के बार के सदस्यों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण है।

(XVI) प्रार्थिनी के सहअधिकारीगण के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण है।

(XVII) प्रार्थिनी ने अपने न्यायालय तथा प्रभाराधीन कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया है।

(XVIII) वह न्यायालय अवधि में न्यायालय में नियमित बैठने(**regular**) व समय की पाबंदी के साथ समयबद्ध(**punctual**) है।

(XIX) उसका महिलाओं के प्रति व्यवहार अच्छा है।

(XX) प्रार्थिनी का स्वास्थ्य अच्छा है एवं वह स्वस्थ है।

(iii) यह कि प्रार्थिनी की वर्ष 2021-2022 की गोपनीय प्रविष्टि में आदरणीय जनपद न्यायाधीश, श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा स्वयं ही उक्त कॉलम में **Overall assessment of the**

merit of the officer (outstanding,very good, average, poor):- "Good"
प्रविष्टि अंकित की गई थी तथा उन्हीं के द्वारा वर्ष 2022-2023 में उक्त कॉलम में "Average" प्रविष्टिअंकित की गई जबकि उक्त पूर्व वर्ष 2021-22 में प्रार्थिनी का न्यायिक व प्रशासनिक अनुभव स्वाभाविक रूप से वर्ष 2022-23 से कम था जिससे स्पष्ट है कि उक्त तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय ने वास्तविकता के विरुद्ध, मनमानी व विद्वेषपूर्ण तरीके से प्रार्थिनी की योग्यता के सम्पूर्ण निर्धारण के बारे में उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की है।

(iv) यह कि उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विरोधाभाषी, तथ्यों के विरुद्ध निराधार, पूर्वाग्रह से युक्त, विद्वेषपूर्ण व अनुचित है।

(v) यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है।

Column

Remark recorded by L.d. DJ, Auriaya

4. Other remarks, if any:

the conduct of the officer is not up to the mark and she violated government conduct rules 1956 and circular number 112/1.C-27 dated 14. 12. 1956 and 68/61 dated 14.4.1961 coupled with CL number 39 of 19.09.2006 of the Hon'ble Court.

उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थिनी का विनम्र निवेदन निम्नवत है-

(i) यह कि प्रार्थिनी द्वारा अपने कार्य के दौरान अथवा जनपद न्यायाधीश या किसी भी व्यक्ति के समक्ष कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया गया जो कि प्रार्थिनी के पद की गरिमा के विरुद्ध हो।

(ii) यह कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा उक्त कॉलम में की गई प्रतिकूल प्रविष्टि, कॉलम नम्बर 01(m) में की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर अंकित की गयी है जो समान प्रतिकूल प्रविष्टि की पुनर्वावृत्ति है।

(iii) यह कि प्रार्थिनी द्वारा किसी भी शासनादेश अथवा माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र का उल्लंघन नहीं किया गया है अतः उक्त प्रविष्टि पूर्णता अनुचित, आधारहीन, मनमानीपूर्ण एवं विद्वेषपूर्ण है।

(iv) यह कि उक्त संबंध में कॉलम नम्बर 01(m) की प्रतिकूल प्रविष्टि के विलोपित करने के संबंध में विनम्र निवेदन किया गया है, जो समान आधार पर अंकित किया गया है।

(v) यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है।

यह कि प्रार्थी अपने समस्त पदीय कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन सदैव ईमानदारी, लगन, निष्पक्षता, पक्षपातरहित, निर्भयता, अनुशासन व विधिनुसार तथा माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों, आदेशों/परिपत्रों का अनुपालन करते हुए संपादित करती थी। जबकि, उक्त तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा विधि व माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्रों के विरुद्ध अपनी इच्छानुसार प्रार्थिनी के न्यायिक कार्यों व अन्य प्रभाराधीन कार्यों को नजरअंदाज करते हुए तथा जानबूझकर विद्वेषपूर्ण आशय से गलत मूल्यांकन करते हुए उक्त समस्त प्रतिकूल प्रविष्टियां अनुचित व मनमाने तरीके से प्रार्थिनी को प्रताड़ित करने के लिए अंकित की गई हैं, इस संबंध में प्रार्थिनी माननीय न्यायालय का ध्यान कुछ घटना-क्रमों पर आकृष्ट कराना चाहती है-

(i) यह कि तत्कालीन आदरणीय जिला जज, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा सन 2020 की नववर्ष पार्टी का आयोजन सेशन हाउस में किया गया था तथा प्रार्थिनी को समस्त अधिकारीगण से धनराशि एकत्रित करने हेतु व आयोजन की तैयारी हेतु निर्देश दिए गए जिनका प्रार्थिनी द्वारा पूर्णतया पालन किया गया था, जब प्रार्थिनी निर्धारित समय पर पार्टी में सेशन हाउस पहुंची तो जिला जज द्वारा प्रार्थिनी पर सबके समक्ष अभद्रता पूर्वक टिप्पणी करते हुए कहा गया कि "तैयार होकर खाने आ गई हो, यहां कुर्सियां कौन लगाएगा, तुम्हें 2 घंटे पहले आना चाहिए था" इसके उपरांत भी आदरणीय जनपद न्यायाधीश की गरिमा को ध्यान में रखते हुए व सम्मान करते हुए प्रार्थिनी चुप रही एवं पार्टी की समुचित व्यवस्था करने लगी।

(ii) यह कि कुछ समय पश्चात पुनः सेशन हाउस में आदरणीय जिला जज, औरैया श्री अनिल कुमार वर्मा की बर्थ-डे पार्टी आयोजित की गई। प्रार्थिनी को पुनः समस्त न्यायिक अधिकारीगण से धनराशि एकत्रित करने हेतु आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा निर्देश दिए गए जिनका प्रार्थिनी द्वारा पालन किया गया एवं प्रार्थिनी पिछली पार्टी की टिप्पणी से डरी हुई थी। अतः वह निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही सीधे कोर्ट से सेशन हाउस पहुंच गई। आदरणीय जिला जज, श्री अनिल कुमार वर्मा के निर्देश पर प्रार्थिनी लगातार सबके आने तक सेशन हाउस के गेट पर खड़ी रही। इसी बीच जनपद न्यायाधीश, श्री अनिल कुमार वर्मा अंदर चले गए, जब बाहर

निकलें तो नशे में थे। पार्टी के मध्य चरण में, आदरणीय जिला जज ने शराब के नशे में अपने समकक्ष पुरुष अधिकारियों को डांस करने का निर्देश दिया। वह लोग डांस करने लगे, तो जिला जज ने प्रार्थिनी एवं एक अन्य समकक्ष महिला अधिकारी को पुरुष अधिकारियों के साथ डांस करने का निर्देश दिया। जिस पर हम दोनों महिला अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। प्रार्थिनी मानसिक रूप से बहुत दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वह जिला जज के सम्मान के कारण वहां चुपचाप खड़ी रही। इस बात से आदरणीय जिला जज श्री अनिल कुमार वर्मा प्रार्थिनी से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सेशंस हाउस में होने वाली सभी पार्टियों व प्रोग्राम में प्रार्थिनी को आना निषेधित कर दिया। इसके पश्चात सेशंस हाउस, औरैया में, आदरणीय जनपद न्यायाधीश, श्री अनिल कुमार वर्मा की पत्नी की बर्थ-डे पार्टी तथा आदरणीय जनपद न्यायाधीश की मैरिज ऐनिवर्सरी पार्टी आयोजित की गई। जिसमें जनपद न्यायालय औरैया के समस्त अधिकारीगण को आमंत्रित किया गया। परंतु, प्रार्थिनी एवं उन अन्य महिला अधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया तथा आदरणीय जनपद न्यायाधीश ने बार-बार प्रार्थिनी के न्यायालय का स्टाफ बदलकर, उसे अर्ध-शासकीय पत्र देकर, सबके सामने अपमानित करके, उसका मनोबल तोड़ने का हर संभव प्रयास किया।

(iii) यह कि सन् 2020 में जब प्रार्थिनी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर जनपद, औरैया में कार्यरत थी। तब तत्कालीन वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थिनी के न्यायालय में न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध आचरण किया गया। जिस पर प्रार्थिनी ने श्रीमान जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की। जब प्रार्थिनी ने उक्त प्रकरण आदरणीय जिला जज को बताया तो आदरणीय जिला जज, औरैया द्वारा अपने विश्राम-कक्ष में सभी अधिकारियों के समक्ष श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से यह कहा गया कि **"डीएम को फोन करके बोलो कि यह मैटर दबा दे कोई जरूरत नहीं है लिखा पढ़ी की।"** और, प्रार्थिनी से आदरणीय जिला जज श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा यह कहा गया कि अगर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने अपमान भी किया है, तो न्यायालय का किया, तुम्हारा तो नहीं किया। तो तुम्हें क्या जरूरत थी जिलाधिकारी को पत्र लिखने की। प्रार्थिनी आदरणीय जिला जज के ऐसे आचरण से हतप्रभ थी। इसके पश्चात आदरणीय जिला जज द्वारा उल्टा इस प्रकरण में प्रार्थिनी को ही अर्ध-शासकीय पत्र निर्गत किए गए और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के माध्यम से प्रार्थिनी की झूठी शिकायत माननीय उच्च न्यायालय भिजवाई गई। इन्हीं अर्ध-शासकीय पत्रों को आधार बनाकर आदरणीय जिला जज, औरैया श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा प्रार्थिनी की वर्ष 2021- 22 की गोपनीय प्रविष्टि के कॉलम में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई। जबकि, प्रार्थिनी के पत्र पर तत्कालीन वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन से जांच हुई तथा प्रकरण में तत्कालीन वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दोषी भी पाए गए।

(iv) यह कि प्रार्थिनी अवकाश वाले दिन आदरणीय जिला जज, औरैया से स्टेशन छोड़ने की अनुमति लेकर तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी से पूर्व अनुमति लेकर अपने **व्यक्तिगत मुलाकात** हेतु माननीय न्यायमूर्ति के घर गई थी। जिसके लिए प्रार्थिनी को आदरणीय जिला जज से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी उस

समय औरैया के प्रशासनिक न्यायाधीश नहीं थे तथा प्रार्थिनी द्वारा उनके घर पर माननीय न्यायमूर्ति महोदय से व्यक्तिगत मुलाकात हेतु पूर्व अनुमति ले ली गई थी। जिससे यह स्पष्ट है कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा अर्धशासकीय-पत्र गलत व असत्य तथ्यों के आधार पर मेरी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के उद्देश्य से पूर्व नियोजित तरीके से जान-बूझकर जारी किये गये थे। एतएव प्रार्थिनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी सर्कुलर लेटर का उल्लंघन नहीं किया गया है।

जब प्रार्थिनी की वर्ष 2021-22 की गोपनीय प्रविष्टि के आदरणीय जिला जज ,औरैया द्वारा दिए गए प्रतिकूल कॉलम को तत्कालीन माननीय न्यायमूर्ति, प्रशासनिक न्यायाधीश, औरैया द्वारा प्रतिस्थापित कर अनुकूल एवं अच्छा लिख दिया गया तो आदरणीय जिला जज औरैया ने प्रतिशोध पूर्वक प्रार्थिनी को इस संबंध में एक के बाद एक अर्धशासकीय-पत्र देना प्रारंभ कर दिया तथा इसी समय प्रार्थिनीको विश्राम-कक्ष में धमकी भी दी कि इस बार मैं पहले से ही माननीय न्यायमूर्ति, प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय से सब कुछ कह चुका हूं अब देखता हूं अपनी एंट्री कैसे सही करवाओगी तथा एक के बाद एक अर्धशासकीय-पत्र इस संबंध में देकर कि प्रार्थिनी माननीय न्यायमूर्ति से मिलने क्यों गई थी प्रार्थिनी पर इस प्रकार मानसिक दबाव बनाने का पूरा प्रयत्न किया कि वह उनके विरुद्ध कहीं किसी से शिकायत ना कर पाए और डर कर उनकी हर गलत बात मानने को विवश हो जाए और इसी अनुक्रम में प्रार्थिनी की गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिकूल कॉलम अंकित किये गये हैं। आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा दिये गये उपरोक्त अर्धशासकीय-पत्रों का प्रार्थिनी द्वारा विनम्रतापूर्वक स्पष्टीकरण उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था इसके उपरांत भी आदरणीय जनपद न्यायाधीश,औरैया द्वारा प्रार्थिनी की गोपनीय प्रविष्टि में इन्हीं अर्धशासकी-पत्रों को आधार बनाकर प्रतिकूल प्रविष्टियां की गई जो पूर्णता आधारहीन, पूर्वाग्रह से युक्त तथा विद्वेषपूर्ण एवं असत्य हैं।

(v) यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त समस्त प्रतिकूल प्रविष्टियां विलोपित किया जाना, योग्यता के सम्पूर्ण निर्धारण को उच्चकृत किया जाना तथा न्यायिक अधिकारी द्वारा ईमानदारी, निष्पक्षता व सत्यनिष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु इस प्रकार की प्रताड़नाओं से संरक्षण प्रदान किया जाना समीचीन है।

आदरणीय महोदय, प्रार्थिनी निम्न तथ्यों पर माननीय न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने की अनुमति चाहती है-

1. यह कि प्रार्थिनी का कार्य- निस्तारण पर्याप्त है तथा निर्धारित मानक (770.32 units) से काफी अधिक (1878.12 units) है, जो कि किये गये कार्य का 243.81% है।

2. यह कि प्रार्थिनी द्वारा इस वर्ष माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के D.O. C-148/CF(B)/2022, Dated: Allahabad: March 26,2022 के अनुपालन में क्रिमिनल व सिविल दोनों की एक्शन प्लान(Action Plan) की समस्त पत्रावलियों का निस्तारण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उक्त पत्र संख्या D.O. C- 148/CF(B)/2022,

Dated: Allahabad: March 26,2022 में दिये गए दिशा-निर्देशों में बिन्दु संख्या (c) पर निम्न दिशा-निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया था-

The disposal of Action Plan cases be taken into consideration at the time of recording of Annual Confidential Report of the Judicial Officers.

परंतु, तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र में दिये गए उक्त दिशा-निर्देश को ध्यान में न लेते हुए प्रार्थिनी द्वारा सिविल व क्रिमिनल दोनों का एक्शन प्लान पूर्ण करने के उपरांत भी, अपनी ऐसी व्यक्तिगत नाराजगी के कारण जिनका प्रार्थिनी के न्यायिक कार्य और आदरणीय जनपद न्यायाधीश के प्रशासनिक तौर पर दिये गए आदेशों के पालन से कोई संबंध नहीं था, प्रार्थिनी के गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित की गईं।

3. यह कि प्रार्थिनी द्वारा इस वर्ष में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र **General letter No. 11/IV0-h- 14/2022; Dated: Allahabad: August 18,2022 (संलग्नक-07)** के अनुपालन में 50% से अधिक यूनिट पत्रावलियों के अंतिम निस्तारण द्वारा प्राप्त की गयी हैं।

4. यह कि प्रार्थिनी द्वारा 334 वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया है।

5. यह कि प्रार्थिनी ने सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ईमानदारी(honesty), लगन(perserverance), कठिन परिश्रम, साहस, निष्पक्षता एवं पक्षपात रहित होकर किया है। महोदय, तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया की उक्त विद्वेषपूर्ण व प्रतिकूल टिप्पणियों के कारण प्रार्थिनी की न्यायिक सेवा में भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

प्रार्थना

अतः आदरणीय महोदय से करबद्ध विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-2023 में कॉलम न० 01(h), 01(m), 2, 4 में अंकित किये गये समस्त प्रतिकूल प्रविष्टियों को विलोपित करने, उसके स्थान पर उचित प्रविष्टियां अंकित करने तथा योग्यता के सम्पूर्ण निर्धारण को उच्चकृत करने हेतु प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

जिसके लिए प्रार्थिनी सदैव करबद्ध आभारी रहेगी।

सादर।

दिनांक:- 30/08/2023

भवदीया

प्रियल शर्मा
अपर सिविल जज (जू.डि.)-7
वाराणसी
[तत्कालीन सिविल जज (जू.डि.)/एफ०टी०सी०
औरैया]